न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/26/2016	10—06—2016	24—07—2019

01— सरकार जरिये श्री विनोद कुमार जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी बहरोड़—बानसूर जिला अलवर राजस्थान।

बनाम

01— श्री राजेश शर्मा पुत्र श्री रतनलाल उचित मूल्य दुकानदार ग्राम मांची ग्प्रम पंचायत गूंता तहसील बानसूर, अशोक पुत्र सतीश निवासी ग्राम मांची ग्प्रम पंचायत गूंता तहसील बानसूर, अजय पुत्र गिरधारी गुर्जर निवासी ग्राम दोराताका बास तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान।

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित आदेश राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ आदेश 1976 के तहत 64.77 क्विं. गेहूं, 130 कट्टे बारदाना (जूंट) बाबत।

उपस्थितः—

01— मनमोहन शर्मा — वकील अप्रार्थी

—:निर्णयः—

प्रकरण प्रवर्तन अधिकारी बहरोड—बानसूर द्वारा पेश कर निवेदन किया कि श्रीमान् जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा दिनांक 03.06.2016 को दिये निर्देशों की पालना में राशन सामग्री के अवैध परिवहन की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस थाना हरसोरा तहसील बानसूर पहुंचा। थानाधिकारी द्वारा तहरीर रिपोर्ट पेश की गई। थानाधिकारी हरसोरा द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 02.06.2016 को रात्रि 10.30 बजे करीब मुखबीर सूचना अनुसार दो पिकअप गाडी सं. RJ 35 GA 0085 तथा RJ 32 GA 8227 जिनमें 50—50 किलो के कट्टे के साथ डीलर राजेश शर्मा बैठा पाया गया। दूसरी पिकअप में अजय पुत्र गिरधारी गुर्जर गाडी चला रहा था तथा अशोक पुत्र सतीश बैठा हुआ था। जिन दोनो पिकअप गाडियों का पुलिस थाना हरसोरा लाया गया। दोनो पिकअप गाडियों की जांच की गई। दोनो पिकअप गाडियों में मशीन से पैक जूंट निर्मित गैंहु के कट्टे जिन कट्टों पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फूड ग्रेन व्हीट/राईस एफसीआई आरए—2016—17 फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रिंटेड पाया गया। मौके पर राजेश शर्मा ने उक्त गेहुं स्वंय का बताया तथा ग्राम नायली ग्प्रम पंचायत भंगू का बास ले जाना बताया। जिसका वजन कराया गया। पिकअप सं. RJ 32 GA 8227 में मय बारदाना गेहुं का वजन 32.80 क्विं. तथा पिकअप सं. RJ 35 GA 0085 में मय बारदाना गेहुं का वजन 32.75 क्विं. पाया गया। बारदाने का वजन घटाने पर दोनो पिकअप में 64.77 क्विं. गेहुं पाया गया। इस प्रकार राजेश शर्मा पुत्र रतनलाल उचित मूल्य की दुकानदार, अशोक पुत्र सतीश, अजय पुत्र गिरधारी गुर्जर द्वारा पीडीएस गेहुं परिवहन काला बाजारी के लिये किया जाना प्रतीत होता है। उक्त कृत्य को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी सपठित आदेश राजस्थान खाद्यान्न एवं

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

अन्य आवश्यक पदार्थ आदेश 1976 की स्पष्ट अवहेलना हैं। जो एक दण्डनीय अपराध है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण समस्त 64.77 क्विं. गेहूं के जूंट निर्मित 130 कट्टे मय बारदाना को जप्त सरकार कर श्री बनवारी लाल उचित मूल्य दुकानदार हरसोरा को सुपुर्द किया गया। दोनो पिकअप गाडियों को जप्त किया जाकर थारा हरसोरा को सुपुर्द किया गया। अतः प्रार्थना –पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 64.77 क्विं. गेहूं के जूंट निर्मित 130 कट्टे मय बारदाना मय वाहन पिकअप सं. RJ 35 GA 0085 तथा RJ 32 GA 8227 को राजसात करने की कृपा करें।

वकील अप्रार्थी ने जबाव प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया है कि मिन प्रार्थी के विरूद्ध पेश की गई रिपोर्ट गलत है। थानाधिकारी के कहें अनुसार जिला रसर अधिकारी अलवर को गलत सुचना प्रेषित की गई है। प्रार्थी द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा निवेदन किया कि दिनांक 02.06.2016 को रात्रि करीब 10.30 बजे मुखबीर की सूचना पर उक्त समस्त कार्यवाही की गई। थानाधिकारी हरसोरा की तहरीर दिनांक 03.06.2016 के अनुसार दिनांक 02.06.2016 रात्रि को करीब 10.30 बजे पर मुखबीर सूचना के आधार पर सरकारी गाडी से घटना स्थल पर पहुंचा। घटना स्थल से थाना हरसोरा की दूरी करीब 14–15 किलोमीटर है और रास्ता खराब है। घटना स्थल पर थाने से पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगता है। सूचना मिलने के बाद थाने में तैयार होकर भी चलने में भी समय लगना निश्चित है। ऐसी सूरत में थानाधिकारी थाना स्थल पर सूचना मिलने के बाद रात्रि 1 बजे से पहले पहुंचना संभव नहीं था। जबकि जांच में थानाधिकारी के मौबाईल की कॉल डिटेल के अनुसार घटना स्थल गूंता में लोकेशन 9–10 बजे के बीच की पायी गयी। यानि मुखबीर से सूचना मिलने की जो कहानी थानाधिकारी द्वारा गढी गई है वह झूटी है। इसके अलावा थानाधिकारी ने अंकित किया है कि मुलजिम राजेश शर्मा व अशोक शर्मा पिकअप के अंदर बैठे थे। यानि दोनो ने भागने की कोई चेष्टा नहीं की थी। बल्कि दोनो पिकअपो को स्वंय थाने लेकर आये व पुलिस कार्यवाही में सहयोग किया। थानाधिकारी तहरीर में यह स्पष्ट नहीं है कि राशन का गेहुं कहां बेचने ले जा रहे थे और गेहुं का खरीददार कौन था। थानाधिकारी हरसोरा ने रात्रि 12 एएम पर थाना पहुंचना अंकित किया है। इससे यह बात साबित है कि घटना दिनांक 02.06.2016 को 12 एएम से पूर्व की है। अगर घटना रात्रि की होती तो थानाधिकारी के हरसोरा पहुंचने का समय 12 पीएम लिखता। जबकि थानाधिकारी पढा लिखा व्यक्ति है। जिसने तहरीर भी टाईप कराकर उसको पढकर समझकर अपने हस्ताक्षर किये है। थानाधिकारी की तहरीर के आधार पर प्रवर्तन अधिकारी बानसूर द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट मात्र आशंका से दर्ज करायी थी, की इस प्रकार गेहूं का अवैध परिवहन कालाबाजारी हेतु किया जाना प्रतीत होता है। यानि स्वंय प्रवर्तन अधिकारी ने भी साफ तौर से गेहूं को कालाबाजारी हेतु ले जाना दर्ज नहीं कराया गया है। क्योंकि प्रवर्तन अधिकारी को यह पता था कि राजेश शर्मा ग्रम गूंता कार्यस्थल मांची का राशन डीलर है को जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा दिनांक 09.03.2016 को श्रीमति राकेश देवी उचित मूल्य दुकानदार भग्गूका बास को आवंटित उचित मूल्य की दुकान का अतिरिक्त चार्ज दिया हुआ था और ग्राम पंचायत भग्गूका बास के आवंटन क्षेत्र की राशन सामग्री की उठाव व वितरण की वेकल्पिक व्यवस्था राजेश शर्मा को दी गई थी और राजेश शर्मा भग्गूकाबास में वितरण करने हेतु 65 क्विं. गेहूं ले जा रहा था। जो मुख्य सड़क से भग्गूके बास की ओर जा रहा

था। किसी कच्चे या उबड खाबड रास्ते से चोरी छुपे नहीं ले जा रहा था और रात्रि का नहीं बल्कि दिन में ले जा रहा था। भग्गूकाबास उचित मूल्य की दुकान पर प्रति माह 123 क्वि. गेहूं क्रय–विक्रय सहकारी समिति से वितरण हेतु आता है। दिनांक 05.05.2016 को 7564 किलोग्रम गेहूं प्राप्त हुआ। इसके बाद दिनांक 28.05.2016 को 2366 किलोग्राम गेहूं प्राप्त हुआ और शेष 370 किलोग्राम गेहूं दिनांक 30.05.2016 को केवीएसएस बानसूर से प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुल 123 क्वि. गेहूं वितरण हेतु प्राप्त हुआ। वितरण के पश्चात् दिनांक 02.06.2016 को 5630 किलोग्राम गेहूं स्टॉक में उपलब्ध था। इसी प्रकार बीपीएल का 315 किलोग्राम गेहूं, एसबीपीएल का 205 किलोग्राम गेहूं, अन्तोदय का 350 किलोग्राम गेहूं स्टॉक में उपलब्ध था। जिस कुल गेहूं 65 क्वि0 को वितरण हेतु भग्गूकाबास ले जाया जा रहा था। राजेश शर्मा ग्राम भग्गूकाबास का वैध डीलर था जो अवैध तरीके से गेहूं को वितरण हेतु ले जा रहा था। इस तथ्य को जांच अधिकारी द्वारा सही पाया और बाद में अनुसंधान कर एफआर नं0 185 दिनांक 30.11.2016 को गलत फहमी वाकया मानते हुए एफआर लगा दी गई। थानाधिकारी द्वारा राशन डीलर राजेश शर्मा के सहयोग से दोनो पिकअपों को लेकर हरसोरा थाना पहुंचा। दोनों गाडियों में रखे 130 कट्टे गेहूं मय बारदाना के काटे पर तुलवाया परन्तु बारदाने को अलग से नहीं तुलवाया गया। मनमर्जी से एक कट्टे का वजन 600 ग्राम मानते हुए गेहूं का वजन 64.77 क्वि0 मान लिया। जबकि गेहूं के खाली कट्टे का वजन 420–425 ग्राम के बीच होता है। इस प्रकार वास्तव में 130 कट्टो में तुलवायी के समय 65 क्विं. गेहूं था। यानि गेहूं की मात्रा सही पायी गयी। श्रीमति राकेश देवी उचित मूल्य दुकान भग्गूकाबास अवकाश पर जाने का प्रा.पत्र जिला रसद अधिकारी के समक्ष पेश करने पर दिनांक 09.03.2016 को राकेश देवी उचित मूल्य की दुकान भग्गूकाबास 1/2 में राशन सामग्री के उठाव व वितरण की व्यवस्था हेतु राजेश शर्मा उचित मूल्य दुकानदार गूंता को निर्देशित किया गया था। यह आदेश जिला रसद अधिकारी अलवर ने 6 माह तक प्रभावी होना बताया है। जिस आदेश ताहीर में जिला रसद अधिकारी अलवर में अपने जवाब में भी अंकित किया है। दिनांक 02.06.2016 को उक्त आदेश प्रभाव में था। राजेश शर्मा ग्राम मांची की दुकान से ग्राम भग्गूकेबास अटेच दुकान पर गेहूं ले जा रहा था जो वैध तरीके से वितरण हेतु ले जा रहा था। लेकिन थानाधिकारी द्वारा राजनैतिक दबाव में आकर गलत प्रकरण दर्ज किया है। अनुसंधान अधिकारी ने दौराने अनुसंधान थानाधिकारी हरसोरा के मौबाईल नं0 8764874041 की कॉल डिटेल दिनांक 02.06.2016 प्राप्त की तब रात्रि 8.54 पीएम से 10.02 पीएम तक टॉवर लोकेशन गूंता–शाहपुर पायी गयी। उसके बाद 10.10 पीएम के बाद टॉवर लोकेशन हरसोरा पाया गया। जबकि थानाधिकारी हरसोरा की तहरीर के मुताबिक उसे 10.30 पीएम पर मुखबीर से सूचना मिली। उसके बाद थाने से घटना स्थल पहुंचा। जबकि थानाधिकारी हरसोरा 10.30 पीएम पर सूचना मिलने के बाद रात्रि 01 बजे से पहले नहीं पहुंच सकता। इस तथ्य से यह बात साबित होती है कि थानाधिकारी हरसोरा द्वारा जानबूझकर प्रार्थी को झूठे मुकदमें में फसाया गया है। अनुसंधान अधिकारी ने अपनी जाचं रिपोर्ट में आरोपी राजेश शर्मा द्वारा जप्तशुदा गेहूं को उचित मूल्य दुकान मांची से अटेच उचिम मूल्य दुकान भग्गूकाबास वितरण के लिये ले जाना सही पाया गया है। प्रार्थी राजेश शर्मा वैध तरीके से जिला रसद अधिकारी अलवर के आदेश दिनांक 09.03.2016 के मुताबिक अटेच दुकान भग्गूकाबास पर वितरण के लिये राशन का गेहूं ले जा रहा था। जिसे थानाधिकारी हरसोरा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(वित्तीय) जयपुर (राज0)

ने राजनैतिक रूप से विरोधी पक्ष के लोगों के दबाव में आकर जप्त कर लिया। उक्त गेहूं राशन डीलर हरसोरा की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दगार से उक्त गेहूं मुझे दिलाया जावें। प्रार्थी पढा–लिख बेरोजगार व्यक्ति है। जिसे झूठे मुकदमें में फंसाये जाने के कारण काफी परेशान है। जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रार्थी का लाईसेंस निलंबित किया हुआ है। उक्त निलंबन निरस्त करते हुए प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को बहाल किया जावें एवं जप्तशुदार गेहूं दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावें।

वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अप्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजात व पुलिस की अंतिम रिपोर्ट क्रमांक 185 दिनांक 30.11.2016 के अवलोकन से स्पष्ट है, कि थानाधिकारी हरसौरा द्वारा दिनांक 02.06.2016 को रात्रि 10:30 बजे मुखबिर से सूचना प्राप्त होना बताया है। जबकि थानाधिकारी हरसौरा की कॉल डिटेल के मुताबिक दिनांक 02.06.2016 की रात्रि 08:54 से 10:02 बजे तक की लोकेशन गूंता शाहपुर थी तथा 10:10 पी.एम. की लोकेशन हरसौरा पाई गई जिससे स्पष्ट है कि घटना का समय 08:54 से 10:02 के बीच का था। चूंकि राजेश शर्मा के पास दो उचित मुल्य दुकान का कार्य था जिससे स्पष्ट है कि वह उक्त गैहूं उचित मुल्य दुकान माची से उचित मुल्य दुकान भग्गू का बास ले जा रहा था। प्रवर्तन अधिकारी बानसूर द्वारा बिना पूर्ण जांच किये प्रकरण दर्ज कराया गया है। अतः जिला रसद अधिकारी अलवर को आदेशित किया जाता है की वह श्री राजेश शर्मा उचित मुल्य दुकानदार माची से जब्त किया गया गैहूं 64.77 क्वि0 को सुपुर्दगार बनवारी लाल उचित मुल्य दुकानदार हरसौरा से प्राप्त कर प्राधिकार पत्र बहाल होने के उपरान्त श्री राजेश शर्मा उचित मुल्य दुकानदार माची को नियमानुसार वितरण करने हेतु दे दिया जावें। श्री राजेश शर्मा उचित मुल्य दुकानदार माची प्राधिकार पत्र बहाली हेतु सक्षम न्यायालय में अपील दायर करें।

निर्णय की प्रति थानाधिकारी हरसौरा व जिला रसद अधिकारी, अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर